रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2009/वैशाख 28, 1931
No. 6] NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2009/VAISAKHA 28, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2009

का.नि.आ. 07(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 41 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) अभिप्रेत है;

(ख) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित सशस्त्र बन अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन नियुक्त अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन नियुक्त अधिकरण का सदस्य (चाहे न्यायिक हो या प्रशासनिक) अभिप्रेत है;

(ङ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. सशस्त्र बल अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत, आवास आदि.—1(क) जब उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तब वह ऐसे वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को उपलब्ध हैं और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 51) में यथाउपबंधित हैं तथा ये यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित समय-समय पर यथासंशोधित इन नियमों के अधीन बनाए गए नियमों सहित लागू होंगे । अध्यक्ष जब देश के भीतर न्यायपीठों के सरकारी दौरे पर हों तब वह अपने पति या अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए हकदार होंगे ।

(ख) जब उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तब वह ऐसे वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के आसीन मुख्य न्यायाधीश को उपलब्ध हैं और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) में उपबंधित हैं तथा ये यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित समय-समय पर यथासंशोधित इन नियमों के अधीन बनाए गए नियमों सहित लागू होंगे :

परन्तु उस दशा में जब उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश पेंशन, उपदान,